भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3491

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नकली रक्त की बिक्री

3491. श्री तनुज पुनियाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़े पैमाने पर नकली खून बेचने का रैकेट चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नकली रक्त के अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ताकि नकली रक्त के व्यापार को भविष्य में रोका जा सके?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री:

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): इस मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है।

उल्लेखनीय है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की परिभाषा के अनुसार रक्त को औषधि माना गया है तथा नकली औषधियों के विनिर्माण एवं बिक्री से संबंधित सभी प्रावधान रक्त पर भी लागू होते हैं।

सरकार ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके तहत नियम के प्रावधानों के अनुसार रक्त केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, सरकार ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 को अधिसूचित किया है, जो रक्त बैंकों/केंद्रों के संचालन, रक्त प्रसंस्करण और इसी प्रकार के मामलों से संबंधित है। उपर्युक्त अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन एवं निगरानी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

*****